न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- जीतू कुलहरी, **R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या:–46/2022 दायर दिनाँक 02.11.2022

प्रार्थी

1. किशनसिंह पुत्र भगवंतसिंह जाति राजपूत निवासी ढिंगाल तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. नाहरसिंह पुत्र भंवर सिंह
2. देवेन्द्रसिंह पुत्र पूर्णसिंह
3. दीपसिंह पुत्र भगवतसिंह
4. नरेन्द्रसिंह पुत्र पूर्णसिंह
5. लाडकंवर पत्नि भगवतसिंह
6. लिछमणसिंह पुत्र भगवतसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ढिंगाल तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
7. तहसीलदार डीडवाना।

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:–

1. श्री मो0 अली शैरानी वकील प्रार्थी।
2. श्री राकेश वर्मा वकील अप्रार्थी सं0 1।
3. श्री प्रदीप कुमार वकील अप्रार्थी सं0 2, 4, 6 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 26.12.2022

संक्षेप में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 से 6 उपखण्ड डीडवाना ग्राम ढिंगाल तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज0) के काश्तकार खातेदार है तथा जिनका सरहद ढिंगाल, पटवार क्षेत्र बेडवा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेगसर, तहसील डीडवाना में स्थित खेत खसरा सं0 469 रकबा 4.6300 हैक्टे0 अवस्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 से 6 तक के उक्त खेत खसरा सं0 469 रकबा 4.6300 हैक्टे0 में आने जाने का कोई रास्ता मौजुद नही है। अतः रास्ते के लिए प्रार्थी वास्ते स्वयं व वास्ते प्रफौर्मा अप्रार्थी सं0 2 से 6 तक के लिए यह आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर रहा है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) की उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुगति व रास्ता लेना चाहता है।

प्रार्थी किशनसिंह पुत्र भगवंतसिंह जाति राजपूत निवासी ढिंगाल व अप्रार्थी सं0 1 नाहरसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र 58 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढिगाल तहसील डीडवाना जिला नागौर की ओर से निम्न राजीनामा पेश है

1. कि उक्त अनुवान प्रकरण मैं हम दोनो पक्षकारो ने आपसी समझाईस से बातावली राजीनामा कर लिया है [illegible] राजीनामा प्रार्थना–पत्र के संलग्न नक्शा खसरा सं0 469 [illegible] हेतु अप्रार्थी खुद के खेत खसरा सं0 528 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2023.09.08 11:43:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

2. कि पक्षकारो ने पहले अदालत हाजा में नजरी नक्शा में ABCD रास्ता चाहा गया था उसी अनुसार हल्का RI ने मौका रिपोर्ट में दर्शाया है। मगर हम दोनो पक्षकारो द्वारा रास्ते को निरस्त कर नये मार्क EFGH पर रास्ता निकालने पर सहमत है। जिसका नजरी नक्शा संलग्न है। उक्त रास्ते का मुआवजा मैने प्राप्त कर लिया है।

1. प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है।
2. प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है।
3. प्रार्थी के खेत में सबसे नजदीक लगने वाले रास्ते के संबध में तहसीलदार डीडवाना से रिपोर्ट ली गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 03 बावजुद तामील के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 5 फौत हो चूकी है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 05 के वारिसान पहले से रिकॉर्ड पर है। अप्रार्थी सं0 2, 4, 6 की तरफ से वकील श्री प्रदीप कुमार ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थी जवाब पेश करना नही चाहते है। अतः जवाब बन्द किया जाता है।

वकील प्रार्थी श्री मो0 अली शैरानी व वकील अप्रार्थी श्री मो0 फिरोज की बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। राजीनामा अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा सं0 469 वाके सरहद ढिंगाल के लगने वाला रास्ता नाहरसिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत के खसरा सं0 528 वाके सरहद ढिंगाल में से अनुसूचि "अ" में दर्शित मार्क EFGH के रास्ते पर सहमत है।

राजीनामा अनुसार अप्रार्थी के वाके सरहद ढिंगाल के खसरा सं0 528 पर प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का आवेदन धारा 251ए आर0टी0एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि:–

–:: **<u>आदेश</u>** ::–

प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 469 वाके सरहद ढिंगाल में आवागमन हेतु राजीनामा के अनुसार अप्रार्थी के खेत ग्राम ढिंगाल के खसरा सं0 528 पर अनुसूची "अ" पर दर्शित मार्क EFGH पर 12 फुट चौड़ाई की भूमि को रास्ते की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना/मौलासर को निर्देशित किया जाता है कि राजीनामा अनुसार संबन्धित पक्षकारान से समन्वय करते हुए चिन्हित स्थल पर 12 फुट चौड़ाई का निर्णय एवं राजीनामानुसार रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावें। प्रभावित खातेदारों ने राजीनामा में वर्णितानुसार अपना प्रतिफल प्राप्त कर लिया है। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मय संलग्न अनुसूची "अ" निर्णय व आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।

(जीतू कुलहरी, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2023.09.08 11:43:49 IST
Reason: SelfAttested

उक्त निर्णय आज दिनांक 26.12... ...इजलास में सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner